

प्रपत्र-1

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन के निमित्त आवेदन पत्र
(दो प्रतियों में)

1. आवेदक का नाम :-	आवेदक का फोटो
2. पिता या पति का नाम :-	
3. पता :- ग्राम/मुहल्ला :-	

पंचायत / नगर :-

वार्ड :-

थाना :-

डाकघर :-

प्रखण्ड :-

अनुमंडल :-

जिला :-

4. आयु (आवेदन पत्र देने की दिन) :-

(आयु का यदि प्रमाण उपलब्ध हो तो उसकी अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जाय । अगर प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं हो तो पारिवारिक सूची या निर्वाचक सूची एवं सदृश सरकारी अभिलेख में दर्ज उम्र अंकित की जाय । इस संबंध में प्रखण्ड चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद मान्यता प्राप्त आयु अंतिम होगी ।)

5. (क) यदि गरीबी रेखा के अधीन सूचीबद्ध हों तो उसका बी0पी0एल0 क्रमांक एवं प्राप्तांक अंकित किया जाय बी0पी0एल0 पहचान सं0 एवं प्राप्तांक.....

(ख) यदि बी0पी0एल0 में सूचीबद्ध नहीं हों तो वार्षिक आय :-

6. मैं घोषणा करती हूँ कि :-

(क) मैं विधवा हूँ ।

(ख) मैं मूलतः बिहार की वासी हूँ । विगत 10 वर्षों से बिहार राज्य में रह रही हूँ ।

(ग) मुझे एक एकड़ या उससे कम असिंचित भूमि है तथा सभी श्रोतों से कुल वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र/शहरी क्षेत्रों में रु0 60,0000/- से कम है ।

(घ) मेरे पास निम्नलिखित चल/अचल सम्पत्ति है जिसका ब्योरा इस प्रकार है :-

(1) चल सम्पत्ति -

(2) अचल सम्पत्ति -

(ड.) यदि इसके पूर्व आवेदन-पत्र दिया गया हो तो उस पर निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है :-

स्वीकृत/अस्वीकृत/कोई सूचना नहीं ।

मैं प्रमाणित करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही है । यदि कोई विवरण झूठा पाया जाय तो लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में भुगतान की गयी राशि राजस्व के बकाये की तरह मुझसे वसूल कर ली जाये । (जो लागू न हो उसे काट दें)

आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

7. आवेदन की तिथि :-.....

टिप्पणी :- आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के बाद आवेदक द्वारा अपने सामान्य निवास के पंचायत कार्यालय, नगर वार्ड या प्रखंड कार्यालय में जमा किया जायेगा और प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने यहाँ प्राप्त आवेदन पत्रों को पंचायतों को भेज देंगे ।

पंचायत कार्यालय का सत्यापन प्रतिवेदन

1. आवेदकसे प्राप्त आवेदन-पत्र में दर्ज की गयी प्रविष्टियों की स्थानीय सत्यापन कर ली गयी है ।

(क) आवेदक.....की निवासी हैं ।

(ख) आवेदक की पति की मृत्यु.....को हुई तथा आवेदक विधवा हैं ।

(ग) आवेदक बी०पी०एल० में सूचीबद्ध हैं जिनका बी०पी०एल० पहचान सं०.....है एवं प्राप्तांक..... है । आवेदक बी०पी०एल० में सूचीबद्ध नहीं है परन्तु इनकी वार्षिक आय रू० 60,000/- से कम होना विहित प्राधिकारी- अंचलाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित है ।

आवेदक को सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है ।

2. निम्नलिखित कारणों से आवेदक के पेंशन-आवेदन की अस्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है ।

.....
.....

मुखिया, ग्राम पंचायत/वार्ड पार्षद का हस्ताक्षर
पंचायत सेवक/पंचायत प्रभारी का हस्ताक्षर
पदनाम

प्रखण्ड कार्यालय का सत्यापन प्रतिवेदन

1. मैंने आवेदक द्वारा आवेदन की प्रविष्टियों का सत्यापन कर ली है / कराई है एवं सही पाया है। आवेदक को पेंशन स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है ।

2. निम्नलिखित कारणों से आवेदक की पेंशन अस्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है ।

.....
.....

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर

.....